20.07.2020

बी०ए०- खण्ड- II
अर्थशास्त्र (प्र०) - वित्तीयपत्र
लोकवित्त (Public Finance)
"GST - Goods and Service Tax"

DR. Bipin Kumar
Professor, Economics Deptt.
R.R.S. College, Mokama
PPU Patna.

Ans: हमारे देश (भारत) में एक समान वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Taxes (GST)), 122वाँ संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 में राज्य सभा में सर्व सम्मति से पारित किया गया। भारत में इस कर (GST) जी.एस.टी. को 1st July 2017 / 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जी० एस० टी०) एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक एकीकृत कर है जो संपूर्ण देश में किसी भी वस्तु पर एक दर का कर लेगा। जी० एस० टी० लागू होने से संपूर्ण देश एकीकृत बाजार में बदल गया और अधिकांश केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर यथा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Excise duty), सेवा कर (Service tax), वैट (VAT) विलासिता, मनोरंजन, लॉटरी कर इत्यादि सभी जी० एस० टी० के अन्दर समाहित हो गईं - इससे पूरे देश में एक समान (प्रकार का) अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से लागू (जी० एस० टी) इस महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर को सरकार एवं देश के कई अर्थशास्त्रियों ने इसे आजादी के बाद का सब से बड़ा आर्थिक सुधार वाला (कर प्रणाली) बतलाया।

जी० एस० टी० लागू हो जाने से किसी भी सामान और सेवा पर कर वहाँ लगेगा देश के अन्दर यह सामान जहाँ बेचा जायगा। भारत में संचालित जी० एस० टी० दर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सहित केवल पाँच देशों में चार गैर-स्तरीय स्लैब हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (GST) तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(1) सी. जी. एस. टी. (सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स): केन्द्र सरकार के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की (ग्रहण) बिक्री पर कर एकत्रित किया जाता है 'CGST' कहलाता है।
(2) एस. जी. एस. टी. (State Goods and Service Taxes): राज्य सरकार सेवाओं और उत्पादों की (ग्रहण) आपूर्ति के आधार पर जो कर वसूलती है 'SGST' कहलाती है।
(3) आई. जी. एस. टी. (Integrated Goods and Services Tax): जब राज्यों के बीच उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। करों को जब केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है वह 'IGST' कहलाता है।

अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर "जी० एस० टी० के लाभ" की चर्चा करेंगे:
(i) वैट, सी. एस. टी., सर्विस टैक्स, सी. ए. डी., एस. ए. डी. और Excise जैसे बंडल अप्रत्यक्ष करों को हटाना।
(ii) करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने का अर्थ है कर पर कर को हटाना।
(iii) VAT कर संरचना की तुलना में कम कर अनुपालन और एक सरलीकृत कर नीति।

(iv) माल की मांग और खपत में वृद्धि ।

(v) मांग बढ़ने से आपूर्ति बढ़ेगी। इसलिए, यह अंततः माल के उत्पादन में वृद्धि करेगा।

(vi) व्यापारियों और दुकानदारों के द्वारा आमतौर पर अपनायी जाने वाली प्रणाली के रूप में काले धन पर नियंत्रण आवश्यक रूप से जाँच हेतु रखा जायेगा।

(vii) इसका बोझ आम आदमी पर कम पड़ेगा अर्थात जनता के पास उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिए कम बढ़ना होगा जो पहले महंगे थे।

(viii) निर्माण क्षेत्र पर कर का बोझ कम होने से निर्माण लागत में भी कमी आएगी - इसका असर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत कम होने के रूप में देखा जा रहा है।

(ix) इस प्रकार के फायदे की संभावना भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय बाद मिलने अधिक संभावना;

उपरोक्त लाभ तभी संभव है जब जी॰एस॰टी॰ का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए। जी॰एस॰टी॰ की शुरुआत हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में बड़ा ही उल्लेखनीय कदम माना जाता है। राज्य और केंद्र सरकार के कर को मिलाकर जी॰ एस॰ टी॰ से दोहरे कराधान को आसान और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस कदम का लाभ भारतीय उत्पादों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतियोगी बनाने का रहा है।

अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी॰ एस॰ टी॰ के प्रभाव की चर्चा करेंगे:

(i) जी॰ एस॰ टी॰ (टैक्स बेस) को बढ़ाकर सरकार के राजस्व को बढ़ाएगा।

(ii) जी॰ एस॰ टी॰ निर्यात पर लागू कर स्टम्प कर्तव्यों को हटा देगा। लेन-देन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में राष्ट्र की प्रतियोगिता बढ़ेगी।

(iii) देश की कर व्यवस्था में होगी कारण कि ग्राहकों को यह पता चले कि किस आधार पर कितना कर वसूला जा रहा है।

(iv) जी॰ एस॰ टी॰ उत्पादों पर कर का बोझ कम करता है और अधिक उत्पादन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है।

(v) देश में लागू अलग-अलग दर बाधाएँ यथा, चेक पोस्ट, टोल टैक्स, आदि से माल की ढुलाई के लिए जाते थे वह खुलासा कर स्टॉक और वेयरहाउसिंग लागत की उच्च आवश्यकताओं के कारण प्रमुख लागतें में बदल जाता था लेकिन एक एकल कर प्रणाली (जी॰ एस॰ टी॰) ने इसे समाप्त कर दिया गया है।

Appointments

(VI) जी० एस० टी० उत्पादों द्वारा माल या सेवाओं स्वतः में भुगतान किये गए करों के लिए क्रेडिट प्रदान करेगा। इससे उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत डीलरों से कच्चे माल की खरीद और करापवंचन के दायरे में अधिक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं में लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी० एस० टी० के कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला यह असर निम्नलिखित है:

(1) सकल घरेलू उत्पाद: अभी हमारे देश जी. एस. टी. प्रदाता कई कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनमें अंतर क्षेत्र के निहितार्थों के साथ विपरीत क्षेत्र के उपयोग की लागत और केन्द्र सरकार (CG) राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। इससे उत्पादक और निर्माता दोनों प्रभावित हो रहे हैं; जिसका प्रभाव हमारे देश के जी० डी० पी० पर पड़ता है।

(2) निर्यात: आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में भारत की जी० डी० पी० के लिए जी० एस० टी० को एक ब्रह्मास्त्र की तरह लागू किया गया है, ऐसी उम्मीद है कि हमारा निर्यात विश्व में प्रतिस्पर्धी हो जाएगा कारण कि जी० एस० टी० शामिल करों के अतिरिक्त पेचीदगियों को सरल बना देगा और इससे निर्यात में लाभ होगा।

(3) अप्रत्यक्ष कर संरचनायें: जी० एस० टी० के लागू हो जाने से देश के अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद शुल्क, सेवाकर, बिक्री कर और वैट) जैसे करों की जटिलताओं को दूर कर उसे सरल बना दिया गया है। इस कदम का अनुकूल असर देश के व्यापार पर पड़ेगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नयी गति मिलेगी और जी० डी० पी० एवं राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि होगी।

(4) जी० एस० टी० का 'मेक इन इंडिया' पर प्रभाव: जी० एस० टी० को कर सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद जतायी गयी है। जी० एस० टी० एक प्रगतिशील कर प्रणाली है का वादा करता है जो टैक्स जटिलताओं को कम करता है। जी० एस० टी० के माध्यम से उत्पादन लागत को कम एवं परेशानी मुक्त व्यापार की बात कही गयी है, इससे हमारे देश में व्यापार करने के व्यापारियों/निर्यातकों को काफी सुविधा मिलेगी - जिसका सीधा और अनुकूल प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा लागू किया गया जी० एस० टी० एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कदम है। आवश्यकता है समय-समय पर इसकी कठिनाइयों को जानकर और सरल बनाकर लोगों के सामने लाना और व्यावहारिक बनाना।